न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/25/2015 ऑन लाईन नम्बर–2015/00576 प्रवेश तिथि–28.04.2015

1. डाल चन्द पुत्र कालू राम जाति बैरवा आयु करीब 60 साल निवासी ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर। .....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर।
2. तहसीलदार राजगढ बतौर लैण्ड होल्डर।
3. निदेशक कृर्षि उपज मण्डी समिति राजगढ जिला अलवर। .....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज
उपस्थितः–श्री राजेन्द्र चेयरवाल एडवोकेट–वादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी

–:निर्णयः– दिनांकः–19/01/2026

1. आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि गत आराजी खसरा संख्या 1136/225 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 रकाब 1.41 है0 में से 1.25 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ में अवस्थित है। वादी के पिता स्व0 कालूराम बैरवा को दिनांक 27.09.1975 को आवंटित की गई थी। क्योंकि वादी का पिता भूमिहीन होने के कारण राज्य सरकार द्वारा आवंटन की गई। और वादी के पिता कालू राम को उक्त आराजी पर नियमानुसार दखल दिया गया जिस पर वादी का पिता कालूराम काबिज होकर काश्त करने लग गया। वादी के पिता कालू राम को उक्त आवंटन शुद्वा भूमि का पटटा जारी किया गया तथा वक्त आवंटन उक्त आराजी राजस्व अभिलेख सिवायचक दर्ज थी। जिसका जरिये नामान्तकरण 192 वाके ग्राम कारोठ से वादी के पिता कालूराम को गैर खातेदारी काश्तकार घोषित किया गया तथा जमाबन्दी सम्वत 2030–2035 तक लगातार राजस्व अभिलेख में वादी के पिता कालूराम को गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। सम्वत 2036 में वादी के पिता कालूराम को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। और वादी का पिता कालूराम उक्त आराजी पर बैहसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। सम्वत 2040 में उक्त आराजी की जमाबन्दी तैयार की गई जिसमे वादी के पिता कालूराम को बैरवा के स्थान पर माली दर्ज कर दिया गया जो इन्द्राज बमुकबले वादी गलत है। और काबिल दुरूस्ती है। वादी के पिता कालूराम का स्वर्गवास सम्वत 2036 में हो गया। जिसके उपरान्त वादी बैहसियत वारिस मृतक कालूराम का उक्त आराजी का खातेदार हुआ। और वादी उक्त आराजी पर अपने पिता कालू राम की मृत्यू उपरान्त से ही बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। और मृतक कालू राम की विरासत का इन्तकाल भी वादी के नाम

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

इन्तकाल संख्या 428 दर्ज वो स्वीकार हो गया। जिसे इन्तकाल संख्या 428 का अमल भी जमाबन्दी सम्वत 2036 में हो गया। राजगढ का बन्दोबस्त सम्वत 2046 में सम्पन्न हुआ है। जिसमें उक्त आराजी के साबिक खसरा संख्या 1136/225 वाके ग्राम कारोठ के नवीन खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर कायम किये गये। बन्दोबस्त विभाग को पूर्व रिकार्ड व मौका के मुताबिक वादी उक्त आराजी का खातेदार दर्ज करना चाहिए थे। परन्तु बंदोबस्त विभाग ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका उक्त आराजी को चारागाह दर्ज कर दिया है। जो इन्द्राज खिलाफ मौका उक्त आराजी को चारागाह दर्ज कर दिया। जो बमुकाबले वादी बातिल व बेअसर व शून्य प्रभावी है। और काबिल दूरूस्ती है। प्रतिवादीगण को बिना भूमि आवप्ती की कार्यवाही किये किसी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर गलत इन्द्राज के कारण कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। और प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही खिलाफ कानून व बिला अधिकार है। अन्त में दावा वादी इस्तकरार हक्क विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाया जाकर हाल जमाबन्दी खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 कुल किता 4 कुल रकबा 1.41 है0 में से 1.25 वाके ग्राम कारोठ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वो उक्त आराजी पर जबरन कब्जा नही रकें। और वादी को फसल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नही करें। और दावा वादी डिक्री किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये व उनके द्वारा जवाव पेश किया गया जो इस प्रकार है– विवादीत आराजी वाके ग्राम कारोठ में स्थित है। वादी के पिता कालूराम को आवंटन तो हुई थी लेकिन दखल नही देने व कब्जा नही होने के कारण आवंटन स्वत ही निरस्त हो गया था। बन्दोबस्त विभाग ने मुताबिक मौका व रिकार्ड में सही दर्ज किया है। अन्त में दावा वादी खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में प्रतिवादी के जवाब के उपरान्त तनकीयात कायम करके सुनाई गई। जो इस प्रकार है–

1. *आया वादी हाल आराजी* खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 कुल किता 4 कुल रकबा 1.41 है0 में से 1.25 वाके ग्राम कारोठ का खातेदार काश्तकार है। तथा जमाबंदी में माली के स्थान पर बैरवा दर्ज कराने का अधिकारी है। .....वादी
2. आया वादी प्रतिवादी संख्या 03 को बेदखल करवाकर दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। .....*वादी*
3. *आया वादी प्रतिवादीगण को कार्य कास्त में रूकावट वो मजाहमत न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।* .....*वादी*
4. *अन्य दादरसी*

4. प्रकरण में वादी की ओर से दावे के समर्थन में निम्न साक्ष्य जिनके बयान लेखब्ध किये गये जो शामिल मिशल है।

1. **Pw-1** *डालचन्द पुत्र कालूराम*
2. **Pw-2** *राधाकृष्ण पुत्र भोला राम*
3. **Pw-3** *रामचन्द पुत्र भोरेलाल*
4. **Pw-4** *मन्ना पुत्र नाथू*

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

करण में वादी की ओर से दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल मिशल है।

–अलॉटमेन्ट का पटटा प्रदर्श–1

–अलॉटमेन्ट के बाद वादी के पिता के नाम दर्ज इन्द्राकाल प्रदर्श–2

–जमाबन्दी सम्वत 2036–39 प्रदर्श–3

–जमाबन्दी सम्वत 2049–52 प्रदर्श–4

–मिशल बन्दोबस्त सम्वत 2046 प्रदर्श–5

–विवादित भूमि का नोटिस प्रदर्श–6

–विवादित भूमि रजिस्ट्रर्ड डाक प्रदर्श–7

–मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–8

6. प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल मिशल है।

–जमाबन्दी हाल सम्वत 2069–75 खाता संख्या 676, 672

–मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046

–मिशल बन्दोबस्त सम्वत 2046

–नामान्तकरण संख्या 69, 492, 186

–जमाबन्दी सम्वत 2053–56

–पटवारी हल्का की मूल रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

7. प्रकरण में वकील वादी की एकतरफा में बहस सुनी गई। दौरान–ए–वहस वादी की ओर दावे के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण की गत आराजी खसरा संख्या 1136/225 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 रकाब 1.41 में से 1.25 है0 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ में अवस्थित है। वादी के पिता स्व0 कालूराम बैरवा को दिनांक 27.09.1975 को आवंटित की गई थी। क्योंकि वादी का पिता भूमिहीन होने के कारण राज्य सरकार द्वारा आवंटन की गई। और वादी के पिता कालू राम को उक्त आराजी पर नियमानुसार दखल दिया गया जिस पर वादी का पिता कालूराम काबिज होकर काश्त करने लग गया। वादी के पिता कालू राम को उक्त आवंटन शुद्वा भूमि का पटटा जारी किया गया तथा वक्त आवंटन उक्त आराजी राजस्व अभिलेख सिवायचक दर्ज थी। जिसका जरिये नामान्तकरण 192 वाके ग्राम कारोठ से वादी के पिता कालूराम को गैर खातेदारी काश्तकार घोषित किया गया तथा जमाबन्दी सम्वत 2030–2035 तक लगातार राजस्व अभिलेख में वादी के पिता कालूराम को गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। सम्वत 2036 में वादी के पिता कालूराम को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। और वादी का पिता कालूराम उक्त आराजी पर-वैहसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। अन्त में दावा वादी इस्तकरार हक्क विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाया जाकर हाल जमाबन्दी खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 कुल किता 4 कुल रकबा 1.41 है0 में से 1.25 वाके ग्राम कारोठ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त आराजी पर जबरन कब्जा नही रकें। और वादी को फसाल बोने जोतने काटने लाने ले जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नही करें। और दावा वादी डिक्री किया जावे।

8. इसी प्रकार प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व साबिक रिकार्ड सम्वत् 2046 से पूर्व व पश्चात् की दर्ज प्रविष्टि का अवलोकन करना अति आवश्यक है जो इस प्रकार से है कि–

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

स.	सम्वत् 2046 से पूर्व के साबिक खसरा संख्या एवं रकबा	सम्वत् 2046 के पश्चात् के खसरा संख्या व रकबा
1	225 मिन रकबा 5 बिस्वा 223 मिन रकबा 4 बिघा 4 बिस्वा	360 रकबा 0.63
	225 मिन, 223 मिन शामिल नम्बर 359	361 रकबा 0.57
	225 मिन, शामिल नम्बर 359	366 रकबा 0.14
	225 मिन रकबा 5 बीघा	359 रकबा 0.07

9. प्रकरण में तनकीवार निष्कर्ष इस प्रकार से है कि तनकी संख्या–1 *आया वादी हाल आराजी* खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 कुल किता 4 कुल रकबा 1.41 है0 में से 1.25 वाके ग्राम कारोठ का खातेदार काश्तकार है। तथा जमाबंदी में माली के स्थान पर बैरवा दर्ज कराने का अधिकारी है।

–उक्त तनकी संख्या 01 को सिद्व करने का भार वादी पर था। जो इस प्रकार से है कि गत आराजी खसरा संख्या 1136/225 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ में अवस्थित है। जो आराजी वादीगण के पिता को आवंटन हुई थी। वादी के पिता कालूराम को आवंटन तो हुई थी लेकिन दखल नही देने व कब्जा नही होने के कारण आवंटन स्वत ही निरस्त हो गया था। बन्दोवस्त विभाग ने मुताबिक मौका व रिकार्ड में सही दर्ज किया है। उक्त आराजी खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, वर्तमान रिकार्ड में कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ मण्डी यार्ड हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। जिस वर्तमान में कृषि उपज मण्डी चालू है। और चार दीवारी की हुई है। व आराजी खसरा संख्या 359/0.07 वाके ग्राम कारोठ सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। साथ ही जाति का कोई विवरण हाल राजस्व रिकार्ड में नही है। इसलिए तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष अस्वीकार की जाती है।

10. इसी प्रकार तनकी संख्या 2 इस प्रकार है कि वादी को स्थाई निषेधाज्ञा, खातेदारी पर स्वयं का कब्जा, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति वादी के पक्ष में स्वीकार होना अति–आवश्यक है जो इस प्रकार है–

<u>स्थाई निषेधाज्ञा</u>–मुतनाजा आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादी का अधिकार वैध व घोषित होना चाहिये। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में अस्वीकार होने पर यह पूर्वशर्त सन्तुष्ट नही होती है।

<u>कब्जा</u>–मुतनाजा आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होना अनिवार्य है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान आराजी खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, वर्तमान रिकार्ड में कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ मण्डी यार्ड हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज है। और कृर्षि उपज मण्डी बनी हुई है जो चालू है। व आराजी खसरा संख्या 359/0.07 वाके ग्राम कारोठ सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जिसके अनुसार वादी का मुतनाजा आराजी पर कब्जा होना सावित नही है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी सन्तुष्ट नही होती है।

<u>अपूरणीय क्षति–</u> उक्त विवादित आराजी पर वादी का कभी कोई कब्जा नही रहा है। ना ही कभी कोई दखल रही है। कब्जे काश्त में नही होने के कारण वादी को कोई अपूरणीय क्षति होना सावित नही है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी सन्तुष्ट नही है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

11. मैने बहस वकील वादी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन व मनन किया गया। *हाल आराजी* खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। मुताबिक हाल जमाबन्दी सम्वत 2069–75 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ के अनुसार *हाल आराजी* खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, वमर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ मण्डी यार्ड हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। और कृषि उपज मण्डी चालू है। किसी भी अन्य व्यक्ति का कब्जा नही है। कृषि उपज मण्डी के चारो और दिवारी की हुई है। व खसरा संख्या 359/0.07 मुताबिक जमाबन्दी 2069–75 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ गैर.मु. रास्ता चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज रिकार्ड है। आराजी वादीगण के पिता को आवंटन हुई थी। लेकिन वादी के पिता कालूराम को दखल नही देने व कब्जा नही होने के कारण आवंटन स्वत ही निरस्त हो गया था। इसलिए बन्दोबस्त विभाग ने मुताबिक मौका व रिकार्ड में सही दर्ज किया है। अन्त में सम्पूर्ण बहस के तथ्यों व दस्तावेजो का अवलोकन पश्चात दावा वादी अस्वीकार/खारीज योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् इन्द्राज मय दुरूस्ती/इस्तकरारहक हाल आराजी खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर को साबित नही होने के कारण दावा वादी खारीज/अस्वीकार *किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।*

आज यह निर्णय दिनांक 19/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

अनुवानी–डालचन्द बनाम सरकार
मुकदमा संख्या–01/247/2015

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रवेश तिथि–28.04.2015

वाद संख्या :– 01/25/2015 ऑन लाईन नम्बर–2015/00576

1. डाल चन्द पुत्र कालू राम जाति बैरवा आयु करीब 60 साल निवासी ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर।
2. तहसीलदार राजगढ बतौर लैण्ड होल्डर।
3. निदेशक कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ जिला अलवर।

...............प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क मय दुरूस्ती इन्द्राज
उपरिथतः–श्री राजेन्द्र चेयरवाल एडवोकेट–वादी
पैरोकार सरकार–प्रतिवादी

–:पर्चा डिक्रीः– दिनांकः–19/01/2026

दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् इन्द्राज मय दुरूस्ती/इस्तकरारहक हाल आराजी खसरा संख्या 360/0.63, 361/0.57, 366/0.14, 359/0.07 कुल किता 4 कुल रकबा 1.41 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर को साबित नही होने के कारण दावा वादी खारीज/अस्वीकार *किया जाता है।*

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/01/2026 को तैयार की गई।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते